Dainik Bhaskar (Indore), 22nd June 2016, Page – 02

आईआईटी इंदौर का आदेश, अब छात्रों को नहीं दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस

एमटेक और पीएचडी के छात्रों के लिए संस्थान के होस्टल में रहना जरूरी किया

अनुराग शर्मा | इंदौर

आईआईटी इंदौर ने एमटेक और पीएचडी के विद्यार्थियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नहीं देने का फैसला किया है। संस्थान के डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नोटिस के मुताबिक होस्टल से बाहर रह रहे छात्रों को 31 जुलाई तक होस्टल में जाना ही होगा। अब छात्रों को मजबूरन सिमरोल कैंपस में निर्माणाधीन होस्टल्स में रहना होगा।

कुछ छात्रों ने इसे संस्थान की मनमानी बताते हुए ऑनलाइन विरोध किया है। कुछ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विभाग की स्मृति ईरानी को इस संबंध में ट्वीट भी किया है। नोटिस के अनुसार आईआईटी में होस्टल होने के बावजूद कुछ छात्र कैंपस से बाहर किराए से रहते हैं। आईआईटी उन्हें 20 फीसदी एचआरए दे रहा था। आईआईटी की प्रवक्ता निर्मला मेनन का कहना है कि फैसला सरकार के नियमों के तहत ही लिया होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार का नोटिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। इसके बाद डीन स्टूडेंट वेलफेयर को उचित लगेगा और वे होस्टल में दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट होंगे तो ही छात्रों को शिफ्ट करेंगे। वहीं, मंत्री से शिकायत करने वाले छात्र आईआईटी के नहीं हैं। उन्होंने संस्थान के कुछ छात्रों के नाम का उपयोग किया है।

छात्रों ने शुरू किया आदेश का ऑनलाइन विरोध

छात्र इस आदेश का ऑनलाइन विरोध कर रहे हैं। एक छात्र ने वेबसाइट पर लिखा है कि मैडम, हम एक साल से ऐसे कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं जहां मशीनों के शोर, धूल के गुबार और 510 एकड़ में गड्ढों के सिवाय कुछ नहीं है। पढ़ाई तक तो ठीक था लेकिन अब हमें यहां बने होस्टल में रहने के लिए भी कहा जा रहा है। होस्टल में दिन में कई कई बार बिजली जाती है। आधे से ज्यादा छात्रों को धूल से एलर्जी है। इसके अलाव सिक्युरिटी गार्ड वहां कभी नहीं मिलते, जहां उनकी जरूरत होती है।